

[नोट : अंग्रेजी संस्करण और हिंदी संस्करण के बीच विसंगति की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।]

याचिका संख्या...../जीटी/2024

चमेरा-III पावर स्टेशन के लिए 2019-24 तक की अवधि के लिए टूइंग-अप याचिका और 2024-29 की अवधि के लिए टैरिफ याचिका

एन एच पी सी लिमिटेड
(भारत सरकार का एक नवरत्न उद्यम)
NHPC Limited
(A Government of India Navratna Enterprise)



खंड-1

वाणिज्यिक विभाग
एनएचपीसी कार्यालय परिसर
सैक्टर-33, फरीदाबाद (हरियाणा) -121003

माननीय केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष
याचिका संख्या..... /जीटी/2024

इस मामले में :

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1) (ए) और 79(1)(ए) और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार संचालन) विनियम, 2023 के विनियम 15(1)(ए), 18, 23 और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2019 के विनियम 13, 25,26,31(3), 34(3) , 35(2) के तहत **चमेरा- III पावर स्टेशन** के संबंध में टैरिफ अवधि 2019-24 हेतु टैरिफ के टूटिंग अप हेतु याचिका ।

और इस मामले में :

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1) (ए) और 79(1)(ए) और और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार संचालन) विनियम, 2023 के विनियम 15(1)(ए), 18, 23 और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2024 के विनियम 9(2), 10(1), 12, 25, 26,36 (2), 65(7), 65(8),91 और अन्य प्रासंगिक विनियमों के तहत **चमेरा- III पावर स्टेशन** के 2024-29 की अवधि के लिए टैरिफ के निर्धारण हेतु याचिका ।

याचिकाकर्ता:

एनएचपीसी लिमिटेड,
(भारत सरकार का नवरत्न उद्यम)
एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर-33,
फरीदाबाद (हरियाणा) - 121 003.

प्रतिवादी (गण):

1. अध्यक्ष ,
पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड,
द मॉल, काली बाड़ी मंदिर के पास, पटियाला – 147 001 (पंजाब)
ईमेल: seisbbspcl@gmail.com
फ़ोन नंबर : 9646121804
2. हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र,
शक्ति भवन, सेक्टर-6, पंचकुला-134109 (हरियाणा)।
ईमेल: cehppc@uhbvn.org.in
फ़ोन नंबर 9316274614
3. अध्यक्ष ,
उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001 (उत्तर प्रदेश)

ईमेल : spatcircle2010@gmail.com
फ़ोन : 0522-2287827, 9415005911

4. मुख्य अभियंता एवं सचिव,
इंजीनियरिंग विभाग, प्रथम तल ,
यूटी चंडीगढ़, सेक्टर 9-डी,
चंडीगढ़ – 160 009
ईमेल: elop2-chd@nic.in
फ़ोन: 8054104521
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड, बीएसईएस भवन,
नेहरू प्लेस, नई दिल्ली – 110 019
ईमेल: megha.bajpeyi@relianceada.com
फ़ोन: 9313819851
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड,
शक्ति किरण बिल्डिंग, कड़कड़डूमा, दिल्ली - 110 072
ईमेल: sameer.singh@relianceada.com ; prem.kumar@relianceada.com
फ़ोन: 8010618255
7. मुख्य परिचालन अधिकारी,
टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड,
पूर्ववर्ती नॉर्थ दिल्ली पावर लिमिटेड, ग्रिड सब-स्टेशन बिल्डिंग,
हडसन लाइन्स, किंग्सवे कैंप, नई दिल्ली – 110 009।
ईमेल: anurag.bansal@tatapower-ddl.com
फ़ोन: 9971393919.
8. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
उत्तरांचल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऊर्जा भवन,
कांवली रोड, देहरादून - 248 001 ((उत्तराखंड)
ईमेल: CGMUPCL@YAHOO.COM
फ़ोन: 7533967111
9. प्रबंध निदेशक,
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल),
विद्युत भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर - 302 005 (राजस्थान)
ईमेल : md@jwvl.org

फ़ोन : 91-141-2741134

10. प्रबंध निदेशक,
अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पुराना पावर हाउस,
हट्टी भट्टा, जयपुर रोड, अजमेर - 305 001 (राजस्थान)
ईमेल : avvn10145@yahoo.com , seitajm.avvnl@rajasthan.gov.in
फ़ोन : 0145 2644551,
11. प्रबंध निदेशक,
जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, न्यू पावर हाउस,
औद्योगिक क्षेत्र, जोधपुर – 342 003 (राजस्थान)
ईमेल : cs.jdvwnl@rajasthan.gov.in
फ़ोन : 0291-2651200
12. प्रधान सचिव,
विद्युत विकास विभाग, नया सचिवालय,
जम्मू (जम्मू और कश्मीर)– 180 001
ईमेल : sqmjkspdcll@gmail.com
फ़ोन : 9419156100.
13. अध्यक्ष,
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड,
विद्युत भवन, कुमार हाउस, शिमला-171004 (हिमाचल प्रदेश),
ईमेल : cemm@hpseb.in;cecomm@hpseb.in
फ़ोन : 0177-2801265

एनएचपीसी लिमिटेड
के माध्यम से

(अजय श्रीवास)
महाप्रबंधक (वाणिज्यिक)

स्थान : फरीदाबाद
तारीख : .11.2024

अनुक्रमणिका

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
खंड - I		
1.	सामान्य शीर्षक (General Heading)	01-04
2.	अनुक्रमणिका	05
3.	याचिका	06-35
4.	शपथ पत्र एवं अधिकार पत्र	36-40
5.	अनुलग्नक:	
अनुलग्नक -I	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबन्धन एवं शर्तों) विनियम, 2019 में निर्धारित अनुसार ऑडिटेड टैरिफ फॉर्म 1 से 19	41-179
अनुलग्नक -II	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की शर्तें एवं नियम) विनियम, 2024 में निर्धारित अनुसार ऑडिटेड टैरिफ फॉर्म 1 से 19	180-235
अनुलग्नक - III(ए)	याचिका संख्या 642/GT/2020 (चमेरा-III पावर स्टेशन) में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (CERC) टैरिफ आदेश दिनांक 09.06.2023	236-310
अनुलग्नक - III(बी)	642/GT/2020 में दिनांक 09.06.2023 के आदेश का शुद्धिपत्र	311-333
अनुलग्नक - III(सी)	याचिका संख्या 642/GT/2020 (चमेरा-III पावर स्टेशन) में समीक्षा याचिका 26/RP/2023 में दिनांक 12.07.2024 का सीईआरसी टैरिफ आदेश।	334-344
अनुलग्नक - IV	लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित प्रभावी दर प्रमाणपत्र	345-608
अनुलग्नक -V	सीपीएम एवं मेगा नीति के समर्थन में दस्तावेज़	
खंड -II		
अनुलग्नक -VI	2019-24 की अवधि के लिए ऑडिटेड बैलेंस शीट	609-1195
खंड -III		
अनुलग्नक -VII	485 वीं एनएचपीसी निदेशक मंडल की बैठक का कार्यवृत्त और बोर्ड एजेंडा नोट	1196-1206
अनुलग्नक -VIII	सहकारी दस्तावेज़	1207-1760
अनुलग्नक -IX	प्रतिवादी (गण) को भेजे गए ईमेल का प्रमाण (केवल CERC के लिए)	

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1) (ए) और 79(1)(ए) और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार संचालन) विनियम, 2023 के विनियम 15(1)(ए), 18, 23 और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबन्धन एवं शर्तों) विनियम, 2019 के विनियम 13, 25,26,31(3), 34(3),35(2) और 2019-24 की अवधि के लिए टैरिफ के ड्रइंग अप के लिए इसके बाद के संशोधन और चमेरा-III पावर स्टेशन के संबंध में 2024-29 की अवधि के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबन्धन एवं शर्तों) विनियम, 2024 के विनियम 9(2), 10(1), 12, 25, 26,36 (2), 65(7), 65(8), 91 और अन्य प्रासंगिक विनियमों के तहत याचिका ।

(ए) याचिका का कार्यकारी सारांश

1. एनएचपीसी लिमिटेड, जिसे आगे 'एनएचपीसी' कहा जाएगा, विद्युत मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का एक नवरत्न उद्यम है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक कंपनी है। इसके अलावा, यह विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2(28) के तहत परिभाषित एक 'जनरेटिंग कंपनी' है। एनएचपीसी के पावर स्टेशनों से उत्पादित बिजली उसके लाभार्थीओं को आपूर्ति की जा रही है।
2. क्रमांक संख्या 1 से 13 पर वे प्रतिवादी उल्लिखित हैं जो **चमेरा-III पावर स्टेशन** (3x77=231 मेगावाट) के लाभार्थी हैं तथा जो हस्ताक्षरित विद्युत क्रय समझौतों (पीपीए)/बीपीएसए के अनुसार इस पावर स्टेशन से बिजली प्राप्त कर रहे हैं और अपने-अपने राज्यों/क्षेत्रों में बिजली के वितरण के लिए जिम्मेदार हैं।
3. **चमेरा-III पावर स्टेशन** (3x77=231 मेगावाट) (जिसे आगे "चमेरा-III" / पावर स्टेशन कहा जाएगा) हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है तथा इसका 04.07.2012 को वाणिज्यिक संचालन घोषित किया गया है। एनएचपीसी वाणिज्यिक संचालन के बाद से इस पावर स्टेशन का संचालन और रखरखाव कर रही है।
4. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 में वितरण लाइसेंसधारी को विद्युत आपूर्ति करने वाली उत्पादक कंपनी द्वारा विद्युत आपूर्ति के लिए उपयुक्त आयोग द्वारा टैरिफ निर्धारण का प्रावधान है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ए) के तहत माननीय आयोग को केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली या उसके नियंत्रण वाली उत्पादक कंपनियों के टैरिफ को विनियमित करने का कार्य सौंपा गया है।
5. माननीय आयोग ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की शर्तों और नियम) विनियम, 2019 और उसके बाद के संशोधनों के अनुसार याचिका संख्या 642/जीटी/2020 में अपने आदेश दिनांक 09.06.2023 के द्वारा 01.04.2019 से 31.03.2024 तक की टैरिफ अवधि के लिए चमेरा-III का टैरिफ निर्धारित किया है और 19.12.2023 को इस आदेश में शुद्धिपत्र जारी किया है।

6. माननीय आयोग के दिनांक 09.06.2023 के आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने सीआरईसी में समीक्षा याचिका 26/आरपी/2023 दायर की है। माननीय सीईआरसी ने दिनांक 12.07.2024 के आदेश के माध्यम से समीक्षा याचिका 26/आरपी/2023 का निपटारा कर दिया। माननीय आयोग के दिनांक 12.07.2024 के आदेश से व्यथित होकर माननीय एपीटीईएल के समक्ष अपील संख्या 634/2023 दायर की गई है।
7. उपरोक्त अपील (संख्या 634/2023) के परिणाम का पावर स्टेशन के टैरिफ पर अवधि 2014-19 एवं 2019-24 के लिए परिणामी (Consequential effect) प्रभाव पड़ेगा, अतएव माननीय आयोग से अनुरोध है कि 2019-24 की अवधि के लिए टैरिफ का डूंग अप करते समय एवं 2024-29 की अवधि हेतु टैरिफ को अंतिम रूप देते समय उक्त अपील के परिणाम पर विचार किया जाए।
8. याचिका से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत हैं:

04.07.2012	चमेरा-III पावर स्टेशन की वाणिज्यिक परिचालन तिथि
29.09.2020	2014-19 की अवधि के लिए टैरिफ के टू-अप और 2019-24 की अवधि के लिए टैरिफ के निर्धारण के हेतु टैरिफ याचिका संख्या 642/जीटी/2020 दाखिल करना
09.06.2023	याचिका संख्या 642/जीटी/2020 में 2014-19 की अवधि के लिए टैरिफ के टूंग-अप और 2019-24 की अवधि के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए टैरिफ आदेश जारी होना
19.12.2023	642/GT/2020 में दिनांक 09.06.2023 के आदेश का शुद्धिपत्र
21.07.2023	याचिका 642/GT/2020 में दिनांक 09.06.2023 के आदेश के विरुद्ध समीक्षा याचिका संख्या 26/RP/2023 दाखिल करना
12.07.2024	टैरिफ याचिका 642/GT/2020 में 26/RP/2023 में समीक्षा आदेश जारी करना
24.07.2023	याचिका संख्या 642/GT/2020 में टैरिफ आदेश दिनांक 09.06.2023

	और समीक्षा याचिका 26/RP/2023 में आदेश दिनांक 12.07.2024 के विरुद्ध APTEL में अपील 634/2023 दायर करना
--	--

दावों का सारांश :

(ट्रूइंग अप याचिका- 2019-24)

पूंजीगत लागत :

(लाख रुपए में)

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
दिनांक 09.06.2023 के आदेश द्वारा नेट अतिरिक्त अनुमोदित पूंजीकरण (Net Allowed Add Cap)	689.64	459.01	320.66	233.17	217.66
इस याचिका में दावा किया गया शुद्ध वास्तविक अतिरिक्त पूंजीकरण (Net Actual Add Cap)	4760.62	953.20	1542.14	125.06	211.19
इस याचिका में दावा की गई समापन पूंजी लागत (Closing capital cost)	212065.86	213019.06	214561.20	214686.26	214897.44

वार्षिक नियत लागत (एएफसी) :

(लाख रुपए में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
दिनांक 09.06.2023 के आदेश द्वारा अनुमत वार्षिक नियत लागत (एएफसी)	41107.63	40771.05	40444.64	40118.57	39775.69
तत्काल याचिका में दावा किया गया वार्षिक निश्चित शुल्क (एएफसी)	41548.88	41648.43	41415.09	42972.19	43032.82

(टैरिफ याचिका- 2024-29)

पूंजी लागत :

(₹ लाख में)

विवरण	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
प्रारंभिक पूंजी लागत (Opening Capital Cost)	214897.44	223361.47	224256.29	225174.86	225374.86
वर्ष के दौरान शुद्ध अतिरिक्त पूंजीकरण	8464.02	894.82	918.57	200.00	115.26

समापन (closing) पूँजी लागत	223361.47	224256.29	225174.86	225374.86	225490.12
----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

वार्षिक निश्चित शुल्क (एएफसी) :

(₹ लाख में)

विवरण (Particular)	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
वार्षिक नियत लागत (एएफसी) का दावा	39647.61	31231.35	31931.30	32506.26	34666.51

(बी) विस्तृत याचिका

भाग-ए: 2019-24 की अवधि के लिए टैरिफ का ड्रॉइंग अप (अनुलग्नक-1)

- माननीय आयोग ने, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ की शर्तें और नियम) विनियम, 2019 और उसके बाद के संशोधनों के अनुसार, याचिका संख्या 96/जीटी/2020 में अपने आदेश दिनांक 31.03.2024 के तहत टैरिफ अवधि 01.04.2019 से 31.03.2024 के लिए चमेरा-III पावर स्टेशन का टैरिफ निर्धारित किया है।
- माननीय आयोग द्वारा दिनांक 09.06.2023 के आदेश के तहत अनुमत अनुमानित अतिरिक्त पूंजीकरण और गैर पूंजीकरण (देयताओं के निर्वहन सहित, यदि कोई है) का सारांश निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
अतिरिक्त पूंजीगत व्यय की अनुमति	383.60	1180.00	330.00	260.00	500.00
अनुमत पूंजी विनिवेश	11.39	730.99	19.34	36.83	292.34

दायित्वों का निर्वहन	317.43	10.00	10.00	10.00	10.00
अनुमत शुद्ध अतिरिक्त पूंजीगत व्यय	689.64	459.01	320.66	233.17	217.66

3. माननीय आयोग द्वारा दिनांक 09.06.2023 के आदेश के तहत ₹ 207304.72 लाख की प्रारंभिक पूंजी लागत पर विचार करते हुए अनुमोदित वार्षिक निश्चित शुल्क (एएफसी) का विवरण (01.04.2019 तक) और इससे आगे के लिए अतिरिक्त पूंजीकरण निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
मूल्यहास	10624.37	10653.75	10673.70	10687.86	10699.40
ऋण पूंजी पर ब्याज	6117.00	5237.28	4371.81	3435.92	2458.84
इक्विटी पर रिटर्न	12450.58	12479.64	12497.64	12507.42	12517.73
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	918.24	868.21	819.57	829.46	838.40
प्रचालन और रखरखाव खर्चे (O & M Expenses)	9078.72	9511.46	9964.83	10439.81	10937.43
अतिरिक्त प्रचालन और रखरखाव खर्चे	1918.71	2020.71	2117.10	2218.10	2323.89
वार्षिक निश्चित शुल्क (एएफसी)	41107.63	40771.05	40444.64	40118.57	39775.69

4. वर्तमान याचिका, वास्तविक अतिरिक्त पूंजीगत व्यय, इक्विटी पर रिटर्न की सकल कर दर, आधार दर, ऋण पर ब्याज दर, कार्यशील पूंजी पर ब्याज दर के आधार पर टैरिफ के टू-अप के लिए सीईआरसी (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियमन, 2019 के नियम 13, 25, 26, 31 (3), 34 (3), 35 (2) (सी), 65 (7) और 65 (8) के अनुसार 2019-24 की अवधि के लिए टैरिफ के टू-अप के लिए माननीय आयोग के 09.06.2023 & 12.07.2024 के टैरिफ आदेश के तहत निर्देश के अनुसार दायर की जा रही है।

5. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिका निम्नलिखित कारणों से दायर की गई है:

- ए.** सीईआरसी द्वारा जारी दिनांक 09.06.2023 के आदेश के अनुसार, अनुमत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय और 2019-24 के दौरान चमेरा-III द्वारा किए गए वास्तविक अतिरिक्त पूंजीगत व्यय में भिन्नता है। इसके अलावा, सीईआरसी द्वारा अनुमत कुछ अतिरिक्त पूंजीगत व्यय (संबंधित विलोपन सहित) नहीं किया गया है/नहीं किया जाना है और इसलिए इस याचिका में वास्तविक स्थिति का खुलासा/दावा किया जा रहा है।
- बी.** कुछ अतिरिक्त पूंजीगत व्यय जिनका अनुमान पहले नहीं लगाया गया था, परंतु साइट विशेष की आवश्यकताओं के कारण (specific site requiremets), पावर स्टेशन द्वारा वहन किया गया जो संयंत्र के सुरक्षित, सफल और कुशल संचालन के लिए आवश्यक है। इस तरह के अतिरिक्त पूंजीकरण को टैरिफ के लिए आधारभूत पूंजी (capital base) के हिस्से के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।
- सी.** सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2019 के विनियम 31(3) के अनुरूप 2019-24 की अवधि के लिए एनएचपीसी पर लागू 'प्रभावी कर दर' के आधार पर इक्विटी पर रिटर्न की सकल दर का टूट्टिंग अप करने हेतु।
- डी.** ऋण पूंजी पर ब्याज (IOL) की गणना के लिए ऋण पूंजी पर ब्याज की दर एवं इक्विटी पर रिटर्न (कट-ऑफ तिथि के बाद मूल दायरे से परे अतिरिक्त पूंजीकरण पर इक्विटी के लिए) की गणना का टूट्टिंग अप करने हेतु।
- ई.** कार्यशील पूंजी पर ब्याज (IOWL) की गणना के लिए आधार दर (टैरिफ अवधि के संबंधित वर्ष की 1 अप्रैल को एक वर्षीय एसबीआई एमसीएलआर + 350 आधार अंक) का टूट्टिंग अप करने हेतु।
- एफ.** सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2019 के विनियमन 35(2)(सी) के अनुसार वास्तविक सुरक्षा व्यय और पूंजीगत पुर्जों की खपत हेतु दावा करना।

6. टैरिफ के लिए दावा किए गए शुद्ध अतिरिक्त पूंजीकरण का विवरण 2019-24 की अवधि के लिए खाते के अनुसार वास्तविक पूंजीगत परिवर्धन से प्राप्त किया गया है। इसका विवरण नीचे सारणीबद्ध है:

(₹ लाख में)

क्रम सं.	विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
ए	जोड़ें: वर्ष / अवधि के	4687.72	678.99	401.68	45.12	262.99

	दौरान वृद्धि					
बी	घटाएँ: वर्ष/अवधि के दौरान गैर-पूँजीकरण	15.77	7.49	14.42	11.69	73.84
सी	जोड़ें: वर्ष / अवधि के दौरान निर्वहन (discharges)	88.67	281.70	1154.88	91.63	22.04
डी	शुद्ध योग (ए-बी+सी)	4760.62	953.20	1542.14	125.06	211.19

7. कुछ अतिरिक्त पूँजीकरण, जिनका दावा पहले याचिका संख्या 642/GT/2020 में नहीं किया गया था और जो जनरेटिंग स्टेशन के सुरक्षित, सफल और कुशल संचालन के लिए आवश्यक हो गए हैं। ये कार्य पावर स्टेशन के साइट की आवश्यकता के अनुसार किए गए हैं और 2019-24 की अवधि के लिए खाते (books) में पूँजीकृत किए गए हैं। इस तरह के अतिरिक्त पूँजीकरण का दावा सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019 के विनियम 26 के तहत संबंधित वित्तीय वर्ष में विस्तृत औचित्य के साथ फॉर्म 9A में किया गया है, क्योंकि व्यय के दावे के लिए कोई विशिष्ट खंड नहीं है। माननीय आयोग से अनुरोध है कि कृपया जनरेटिंग स्टेशन के टैरिफ के उद्देश्य से इस तरह के अतिरिक्त पूँजीकरण की अनुमति प्रदान करें।
8. छोटी संपत्तियों, औजारों और उपकरणों, फर्नीचर, कंप्यूटर आदि के प्रकृति की कुछ वस्तुएं, जिन्हें सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2019 के नियमन 25 और 26 के प्रावधानों के अनुसार कट ऑफ तारीख के बाद टैरिफ के उद्देश्य से पूँजीकृत करने की अनुमति नहीं है, को अप श्रेणी (फॉर्म 9डी) के तहत रखा गया है। ऐसी वस्तुओं को हटाने को फॉर्म 9बी(i) में भी बहिष्करण श्रेणी में रखा गया है क्योंकि टैरिफ के उद्देश्य से सीईआरसी द्वारा संबंधित सकारात्मक प्रविष्टियों की अनुमति नहीं दी जा रही है। तदनुसार, माननीय आयोग से अनुरोध है कि टैरिफ के उद्देश्य से ऐसी प्रविष्टियों को बाहर रखा जाए।
9. 09.07.2023 के दौरान हुई अप्रत्याशित भारी बारिश के कारण विनाशकारी भूस्खलन हुआ, जिसके कारण चमेरा-III पावर स्टेशन के बांध पर बड़े पैमाने पर पत्थर गिरे। पत्थर के इस विशाल ढेर ने कचरा रैक सफाई मशीन को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। तदनुसार, रुपये 697.98 लाख की यह संपत्ति घाटे के कारण पूँजीकृत हो गई है। हमने मेगा बीमा पॉलिसी के तहत भौतिक क्षति के खिलाफ रुपये 16.52 करोड़ का दावा दायर किया है। (पत्र दिनांक 04.10.2023 की प्रति

परिशिष्ट-....., सीपी:.....के अनुसार संलग्न है)। बीमा दावे का अभी तक निपटारा नहीं हुआ है। पूंजीकृत संपत्तियों का विवरण क्रम संख्या 1, फॉर्म-9 (B) (i), वित्त वर्ष 2023-24 में दर्शाया गया है और बहिष्करण श्रेणी में रखा गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि क्षतिग्रस्त संपत्ति के प्रतिस्थापन के खिलाफ बीमा दावे के निपटान के माध्यम से बहाल/दावा की गई नई संपत्ति को भी भविष्य में बहिष्करण श्रेणी में रखा जाएगा। हालाँकि, नई परिसंपत्ति के लिए अंतर राशि (यानी बीमा कंपनी द्वारा अस्वीकृत दावे की सीमा तक) बहिष्करण के तहत डिकैप राशि से परे दावा किया जाएगा। माननीय आयोग से अनुरोध है कि वह मानदंडों में ढील दे और कृपया सीईआरसी विनियमन 2019 के विनियमन 76 (ढील देने की शक्ति) और विनियमन 77 (कठिनाई को दूर करने की शक्ति) के तहत टैरिफ में उपरोक्त उपचार की अनुमति दे।

10. उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, सीईआरसी द्वारा दिनांक 09.06.2023 के आदेश के तहत पहले से ही अनुमत शुद्ध अतिरिक्त पूंजीकरण और तत्काल याचिका में दावा किए गए 2019-24 हेतु शुद्ध वास्तविक अतिरिक्त पूंजीकरण का सारांश निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
दिनांक 09.06.2023 के आदेश द्वारा अनुमत शुद्ध अतिरिक्त पूंजीकरण (Net Allowed Add Cap)	689.64	459.01	320.66	233.17	217.66
इस याचिका में दावा किया गया शुद्ध वास्तविक अतिरिक्त पूंजीकरण	4760.62	953.20	1542.14	125.06	211.19

11. **पूंजीगत लागत:** सीईआरसी द्वारा याचिका संख्या 642/जीटी/2020 में दिनांक 12.07.2024 के आदेश में उपरोक्त अतिरिक्त पूंजीकरण और ₹ 207305.24 लाख (01.04.2019 तक) की प्रारंभिक पूंजी लागत को ध्यान में रखते हुए, टैरिफ की गणना के लिए वर्षवार पूंजीगत लागत निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
प्रारंभिक पूंजी लागत	207305.24	212065.86	213019.06	214561.20	214686.26
वर्ष के दौरान शुद्ध अतिरिक्त पूंजीकरण	4760.62	953.20	1542.14	125.06	211.19
समापन पूंजी लागत (closing capital cost)	212065.86	213019.06	214561.20	214686.26	214897.44

12. **वार्षिक निश्चित शुल्क (एएफसी) की गणना:**

उपरोक्त पूंजीगत लागत के आधार पर टैरिफ के विभिन्न घटकों की गणना निम्नलिखित विधि से की गई है, जैसा कि प्रासंगिक विनियमों में निर्दिष्ट है:

ए. इक्विटी पर रिटर्न (ROE):

- चमेरा-III एक पॉन्डेज प्रकार का Run of River (ROR) पावर स्टेशन है, अतएव इक्विटी पर रिटर्न (ROE) की गणना के लिए आधार दर (base rate) 31.03.2019 तक किए गए व्यय और कट-ऑफ तिथि से परे मूल दायरे में किए गए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के लिए सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019 के विनियम 30(2) के अनुसार 16.5% की दर पर विचार किया गया है। मूल दायरे से परे और कट-ऑफ तिथि के बाद किए गए व्यय के लिए, जनरेटिंग स्टेशन की ब्याज की भारित औसत दर (weighted average rate of interest) को इक्विटी पर रिटर्न (ROE) की गणना के लिए आधार दर के रूप में लिया गया है।
- आरओई की आधार दर को सीईआरसी टैरिफ विनियमन 2019 के विनियमन-31(3) के अनुसार टैरिफ अवधि के विभिन्न वर्षों (अनुलग्नक-.....) के लिए एनएचपीसी पर लागू 'प्रभावी कर' दर के साथ जोड़ा गया है। इसका विवरण अनुबंध-I के फॉर्म-1(ii) में प्रस्तुत किया गया है।

बी. मूल्यहास:

- टैरिफ याचिका 642/जीटी/2020 में समीक्षा याचिका संख्या 26/आरपी/2023 में सीईआरसी के दिनांक 12.07.2024 के आदेश के अनुसार, 31.03.2019 तक वसूले गए रुपये 70929.29 लाख के शुद्ध संचयी मूल्यहास पर विचार किया गया है और टैरिफ विनियमन, 2019 के विनियमन 33(5) के अनुरूप टैरिफ विनियमन, 2019 के परिशिष्ट-I में निर्दिष्ट दरों पर सीधी रेखा पद्धति के आधार पर वास्तविक ऐड कैप के अनुसार 2019-24 की अवधि के लिए मूल्यहास की पुनर्गणना की गई है।

सी. ऋण पर ब्याज:

वित्त वर्ष 2019-24 के लिए वास्तविक ऋण पर ब्याज की भारित औसत दर (weighted average rate of interest) पर विचार किया गया है। सीईआरसी टैरिफ विनियमन, 2019 के विनियमन 32 के अनुरूप टैरिफ अवधि 2019-24 के लिए ऋण पर ब्याज की गणना के लिए 2019-24 की अवधि के दौरान अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण मानक ऋण पर विचार किया गया है। ऋण के पुनर्वित्त का विवरण अनुलग्नक-....., सी.पी..... के अनुसार संलग्न है। याचिकाकर्ता को सीईआरसी विनियम, 2019 के विनियम 61 के अनुसार ऋण के पुनर्वित्त के कारण बचत के लिए लाभार्थियों को बिल जारी करने देने की अनुमति दी जा सकती है।

डी. प्रचालन एवं रखरखाव पर व्यय (O&M Expenses):

चमेरा- III पावर स्टेशन के लिए टैरिफ अवधि 2019-24 के लिए लागू मानक ओ एंड एम खर्च पहले ही माननीय आयोग द्वारा सीईआरसी (टैरिफ की शर्तें और नियम) विनियम, 2019 के तहत अधिसूचित किया जा चुका है और साथ ही आयोग द्वारा 09.06.2023 के टैरिफ आदेश में भी इसकी अनुमति दी गई है। मानक ओ एंड एम खर्च को पहले ही माननीय आयोग ने याचिका संख्या 642/जीटी/2020 में अपने आदेश दिनांक 09.06.2023 के तहत अनुमति दी है, साथ ही पूंजीगत पुर्जों की वास्तविक खपत (फॉर्म-17 के अनुलग्नक-II), सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2019 के विनियम 35(2)(सी) के अनुसार वास्तविक सुरक्षा व्यय (फॉर्म-17 के अनुलग्नक-II) और वेतन संशोधन और माल और सेवा कर (जीएसटी) का प्रभाव जैसा कि सीईआरसी द्वारा याचिका संख्या 642/जीटी/2020 में दिनांक 09.06.2023 के आदेश के तहत पहले ही अनुमति दी है, टैरिफ अवधि 2019-24 के लिए ली गई है।

ई. कार्यशील पूंजी पर ब्याज (Interest on Working Capital)

कार्यशील पूंजी पर ब्याज की गणना सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2019 के विनियम 34(3) के अनुसार टैरिफ अवधि के संबंधित वर्ष की 1 अप्रैल को बैंक दर (1 वर्ष एसबीआई एमसीएलआर + 350 बीपी) पर विनियमन 34(1)(सी) के अनुसार मानक आधार पर की गई है।

13. ऊपर पैरा-10 और पैरा-11 में उल्लिखित पूंजी लागत और मापदंडों के आधार पर, याचिकाकर्ता ने टैरिफ अवधि 2019-24 के लिए संशोधित वार्षिक निश्चित शुल्क (एएफसी) की गणना की है। सीईआरसी द्वारा 09.06.2023 के आदेश के तहत अनुमत एएफसी का विवरण और याचिकाकर्ता द्वारा गणना की गई और तत्काल याचिका में दावा किया गया विवरण नीचे संक्षेप में दिया गया है:

(₹ लाख में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
09.06.2023 के आदेश द्वारा अनुमोदित एएफसी	41107.63	40771.05	40444.64	40118.57	39775.69
वर्तमान याचिका में दावा किया गया ए.एफ.सी.					
मूल्यहास	10611.21	10636.63	10693.91	10736.23	10746.76
ऋण पर ब्याज	6241.99	5501.89	4670.92	3766.77	2768.57
इक्विटी पर रिटर्न	12551.19	12814.15	12836.24	14765.01	14986.54
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	930.86	887.62	839.31	870.70	1013.40
प्रचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) पर व्यय	11213.63	11808.14	12374.72	12833.48	13517.55
दावा किया गया वार्षिक निश्चित शुल्क (एएफसी)	41548.88	41648.43	41415.09	42972.19	43032.82

तत्काल याचिका में दावा किए गए एएफसी और दिनांक 09.06.2023 के आदेश के अनुसार अनुमत एएफसी के बीच अंतर को सीईआरसी (टैरिफ के निबन्धन एवं शर्तों) विनियम, 2019 के विनियमन 13 के खंड (4) के प्रावधानों के अनुसार लाभार्थियों से वसूल / वापस करने की अनुमति प्रदान करें।

14. सीईआरसी (शुल्क का भुगतान) विनियम, 2012 और इसके संशोधनों के अनुरूप एनएचपीसी के चालू पावर स्टेशनों के संबंध में फाइलिंग शुल्क का भुगतान अप्रैल माह के दौरान सीईआरसी को वर्ष दर

वर्ष आधार पर नियमित रूप से किया जा रहा है। चमेरा-III पावर स्टेशन के संबंध में 2019-24 के दौरान भुगतान किए गए टैरिफ फाइलिंग शुल्क का विवरण निम्नानुसार है।

वर्ष	राशि (रु. में)
2019-20	10,16,400/-
2020-21	10,16,400/-
2021-22	10,16,400/-
2022-23	10,16,400/-
2023-24	10,16,400/-
कुल	50,82,000/-

इस प्रकार भुगतान किया गया टैरिफ फाइलिंग शुल्क आदेश दिनांक 09.06.2023 के अनुरूप प्रतिवादियों से वसूला जा रहा है।

15. उपरोक्त टैरिफ में कोई भी वैधानिक कर, levies, duties, उपकर, प्रभार या किसी भी अन्य प्रकार का अधिरोपण (imposition) शामिल नहीं है, जो किसी भी सरकार (केन्द्रीय/राज्य) और/या किसी अन्य स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/विनियामक प्राधिकरण द्वारा किसी अधिनियम या विनियमन के माध्यम से विद्युत उत्पादन, auxiliary consumption सहित या किसी अन्य प्रकार का consumption, विद्युत पारेषण, पर्यावरण संरक्षण, विद्युत/ऊर्जा की बिक्री या आपूर्ति, और/या उत्पादन स्टेशनों और/या पारेषण प्रणाली से संबद्ध इसके किसी भी प्रतिष्ठान के संबंध में लगाया/प्रभारित किया गया हो।
16. एनएचपीसी द्वारा किसी भी माह में संबंधित प्राधिकारियों को उक्त करों/शुल्कों/उपकर/लेवी/प्रभारों आदि के रूप में देय ऐसे करों/शुल्कों/उपकर/लेवी/प्रभारों आदि की राशि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2019 के विनियम 56 के अनुसार प्रतिवादियों द्वारा वहन किया जाएगा तथा याचिकाकर्ता को अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।
17. इसके अलावा, टैरिफ प्रस्ताव में सीईआरसी (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम, 2020 और इसके संशोधनों तथा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र की फीस तथा प्रभार तथा अन्ध सहबद्ध मामले) विनियम, 2019 और इसके संशोधनों के तहत PGCIL, POSOCO/NLDC को भुगतान किए जाने वाले किसी भी ट्रांसमिशन/संचार/यूलडीसी

(ULDC) शुल्क शामिल नहीं हैं। सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2019 के विनियम 57 और 70(3) के अनुसार ये शुल्क लाभार्थियों से सीधे वसूल किए जा सकेंगे।

भाग -बी: 2024-29 की अवधि के लिए टैरिफ याचिका (अनुलग्नक-II)

1. सीईआरसी टैरिफ विनियम 2024 के विनियम 9(2), 10(1), 12, 25, 26, 36(2) और 91 के अनुसार याचिकाकर्ता को 2024-29 की अवधि के लिए टैरिफ याचिका के साथ-साथ 2019-24 की अवधि के लिए टूइंग अप याचिका 30.11.2024 तक प्रस्तुत करनी होगी। सीईआरसी टैरिफ विनियमन के विनियमन 9(2) और 12 का प्रासंगिक अंश निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“9 टैरिफ निर्धारण के लिए आवेदन

.....
(2) विद्यमान उत्पादन स्टेशन या उसकी इकाई, या पारेषण प्रणाली या उसके घटक के मामले में, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, यथास्थिति, द्वारा आवेदन के.वि.वि.आ. (टैरिफ के निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2019 के अनुसार, पहले से स्वीकृत और दिनांक 31.3.2024 तक व्ययित अतिरिक्त पूंजी लागत (वास्तविक या अनुमानित पूंजी लागत के आधार पर) सहित स्वीकृत पूंजी लागत और 2019-24 की अवधि के लिए टूअप याचिका के साथ 2024-29 की तारीफ अवधि के संबंधित वर्षों के लिए अनुमानित अतिरिक्त पूंजी व्यय सहित के आधार पर दिनांक 30.11.2024 तक किया जा सकता है”

“12 2019-24 की अवधि के लिए टैरिफ का टूइंग अप

2019-24 की अवधि के लिए उत्पादन स्टेशनों, एकीकृत खदानों और पारेषण प्रणालियों के टैरिफ को 2024-29 की अवधि के लिए टैरिफ याचिका के साथ केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबन्धन और शर्तें) विनियम, 2019 के विनियम 13 के उपबंधों के अनुसार टू अप किया जाएगा। 2024-29 की अवधि के लिए टैरिफ अवधारणा के लिए 1.4.2024 को प्रारम्भिक पूंजी लागत का आधार, टू इंग अप के आधार पर 31.3.2024 को स्वीकृत पूंजी लागत का आधार बनेगा।

इसके अलावा, सीईआरसी टैरिफ विनियम 2024 के विनियमन 10(1) के अनुसार, याचिकाकर्ता को प्रासंगिक टैरिफ फॉर्म (सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2024 के साथ अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न) के अनुसार याचिका दायर करनी है, जिसमें टैरिफ अवधि 2024-29 के लिए अनुमानित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय का विवरण शामिल है।

2. वर्ष 2019-24 की अवधि के लिए टैरिफ का टू-अप, प्रासंगिक टैरिफ प्रपत्र और अनुलग्नक इस याचिका के साथ भाग-ए के अंतर्गत संलग्न है।
3. चूंकि परियोजना की कट-ऑफ तिथि पहले ही बीत चुकी है, इसलिए 2024-29 की अवधि के लिए अनुमानित अतिरिक्त क्षमता का दावा सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2024 के विनियम 25 और 26 के प्रावधानों के तहत किया जा रहा है।
4. टूइंग अप याचिका (भाग-ए) के आधार पर 31.03.2024 तक समापन पूंजी लागत रुपये 214897.44 लाख थी, जिसका उपयोग टैरिफ अवधि 2024-29 के लिए टैरिफ की गणना के लिए 01.04.2024 तक प्रारंभिक पूंजी लागत के रूप में किया गया है।
5. इस याचिका में टैरिफ अवधि 2024-29 में दावे किए गए अनुमानित पूंजीगत व्यय का विवरण अनुलग्नक-11 के फॉर्म-9ए में दिया गया है। इसे नीचे सारणीबद्ध किया गया है:

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
ए	वर्ष/अवधि के दौरान संवृद्धि	8582.07	989.31	935.00	200.00	200.00
बी	घटाएँ: वर्ष/अवधि के दौरान गैर पूंजीकरण	182.78	94.49	16.43	0.00	84.74
सी	जोड़ें: वर्ष / अवधि के दौरान निर्वहन (discharge)	64.73	0.00	0.00	0.00	0.00
डी	शुद्ध योग (ए-बी+सी)	8464.02	894.82	918.57	200.00	115.26

6. **पूँजीगत लागत:** उपरोक्त अनुमानित अतिरिक्त पूँजीकरण और **रुपये 214897.44 लाख** की प्रारंभिक पूँजी लागत (01.04.2024 तक) को ध्यान में रखते हुए, टैरिफ की गणना के लिए वर्षवार पूँजीगत लागत निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

विवरण	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
प्रारंभिक पूँजी लागत	214897.44	223361.47	224256.29	225174.86	225374.86
वर्ष के दौरान शुद्ध अतिरिक्त पूँजीकरण	8464.02	894.82	918.57	200.00	115.26
समापन पूँजी लागत (closing capital cost)	223361.47	224256.29	225174.86	225374.86	225490.12

7. **वार्षिक निश्चित शुल्क (एएफसी) की गणना:**

उपरोक्त पूँजीगत लागत के आधार पर, टैरिफ के विभिन्न घटकों की गणना निम्नलिखित तरीके से की गई है, जैसा कि प्रासंगिक सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2024 में निर्दिष्ट है:

ए. इक्विटी पर रिटर्न (आरओई):

- चमेरा-III पावर स्टेशन पॉन्डेज प्रकार का आरओआर (ROR) संयंत्र है, इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) की गणना के लिए आधार दर को टैरिफ विनियम 2024 के विनियम-25 के तहत अनुमानित पूँजीगत व्यय के लिए 16.5% माना गया है और टैरिफ विनियम 2024 के विनियम-26 के तहत अनुमानित अतिरिक्त पूँजीगत व्यय के लिए 1 अप्रैल 2024 को एक वर्ष का एसबीआई एमसीएलआर प्लस 350 आधार अंक माना गया है।
- आरओई की आधार दर को सीईआरसी टैरिफ विनियमन 2024 के विनियमन-31(1) के अनुरूप 01.04.2024 को प्रचलित एमएटी दर के साथ जोड़ दिया गया है, जिसे बाद में "प्रभावी कर" दर के आधार पर सही किया जाएगा।

बी. मूल्यहास:

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए टैरिफ विनियमन, 2024 के विनियमन 33(5) के अनुरूप टैरिफ विनियमन, 2024 के परिशिष्ट-I में निर्दिष्ट दरों पर सीधी रेखा पद्धति के आधार पर मूल्यहास की गणना की गई है। चूंकि चमेरा-III वित्त वर्ष 2024-25 में अपने उपयोगी जीवन के 12 वर्ष पूरे कर रहा है, इसलिए पावर स्टेशन के उपयोगी जीवन को 40 वर्ष मानते हुए सीईआरसी टैरिफ विनियमन, 2024 के विनियमन 33 के अनुरूप पावर स्टेशन के शेष उपयोगी जीवन पर शेष मूल्यहास मूल्य को फैलाकर वित्त वर्ष 2025-26 से मूल्यहास की गणना की गई है।

सी. ऋण पर ब्याज:

वित्त वर्ष 2019-24 के लिए वास्तविक ऋण पर ब्याज की भारित औसत दर (weighted average rate of interest) पर किया गया है। सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2024 के विनियम 32 के अनुरूप टैरिफ अवधि 2019-24 के लिए ऋण पर ब्याज की गणना के लिए 2019-24 की अवधि के दौरान अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के कारण मानक ऋण पर विचार किया गया है।

a. O&M Expenses:

टैरिफ अवधि 2024-29 के लिए चमेरा-III पावर स्टेशन के लिए लागू ओएंडएम व्यय को पहले ही केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2024 के विनियम 36(2) के तहत माननीय आयोग द्वारा पावर स्टेशन के पिछले वर्षों के वास्तविक ओएंडएम व्यय के आधार पर अधिसूचित किया जा चुका है। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2024 के विनियम 36(2) का प्रासंगिक अंश:

“36 प्रचालन एवं रखरखाव व्यय:

(2) हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशन:

(₹ लाख में)

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2026-27	वित्त वर्ष 2027-28	वित्त वर्ष 2028-29
चमेरा-III	9,598.50	10,123.32	10,676.83	11,260.61	11,876.31

.....

(ग) हाइड्रो उत्पादन स्टेशनों के लिए प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा प्राप्त सुरक्षा व्यय, पूंजी स्पेयर्स एवं बीमा व्यय की अनुमति विवेकपूर्ण जांच के बाद पृथक रूप से दी जाएगी:

बशर्ते यह कि उत्पादन स्टेशन उसके अनुमानित व्यय के साथ सुरक्षा व्यय, पूंजी स्पेयर्स और बीमा व्यय का मूल्यांकन प्रस्तुत करेंगे, जिसे समुचित स्पष्टीकरण के साथ उपभोग किए गए वर्षवार वास्तविक पूंजी व्यय, वास्तविक बीमा और व्ययित सुरक्षा व्यय के विवरणों के आधार पर टूड अप किया जाएगा।

तदनुसार, 2024-29 के लिए अनुमानित सुरक्षा व्यय का दावा 2023-24 के दौरान वास्तविक सुरक्षा व्यय के आधार पर 2024-25 से 5.47% की दर से बढ़ाकर किया गया है। 2024-25 के लिए बीमा व्यय प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर दिए गए बीमा लागत के आधार पर लिया गया है। इसके अलावा इस लागत को 2025-26 से 2028-29 तक 5.47% प्रति वर्ष की दर से बढ़ाया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भुगतान किए गए बीमा प्रीमियम का परियोजनावार ब्यौरा और प्रतिस्पर्धी बोली से संबंधित दस्तावेज़ **अनुलग्नक -.....** के रूप में संलग्न हैं। पूंजीगत पुर्जों की खपत का दावा वास्तविक खपत के आधार पर टूडिंग अप करने के समय किया जाएगा। अनुमत ओएंडएम व्यय के अतिरिक्त दावा किए गए ओएंडएम व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

(रुपये लाख में)

विवरण	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
स्वीकृत मानक ओ एंड एम व्यय	9,598.50	10,123.3 2	10,676.8 3	11,260.61	11,876.31
अनुमानित सुरक्षा व्यय (बी)	1187.64	1252.60	1321.12	1393.38	1469.60
अनुमानित बीमा व्यय (सी)	1742.41	1837.72	1938.24	2044.26	2156.08
पूंजीगत पुर्जों की खपत (घ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल ओ एंड एम व्यय (ई = ए + बी + सी + डी)	12528.54	13213.64	13936.19	14698.25	15501.99

तदनुसार, माननीय आयोग से अनुरोध है कि वह 2024-29 की अवधि के लिए उपरोक्त ओएंडएम व्यय की अनुमति प्रदान किया जाए। 2024-29 के दौरान सुरक्षा व्यय, पूंजीगत पुर्जों की खपत और बीमा व्यय के कारण वास्तविक व्यय टैरिफ के टूट्टिंग अप करने के समय प्रस्तुत किया जाएगा।

ई. कार्यशील पूंजी पर ब्याज

कार्यशील पूंजी पर ब्याज की गणना विनियमन 34(1)(डी) के अनुसार मानक आधार पर और सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2024 के विनियम 34(3) के अनुसार 01.04.2024 के संदर्भ दर पर की गई है।

8. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबन्धन एवं शर्तों) विनियम, 2024 के आधार पर 01.04.2024 से 31.03.2029 की अवधि के लिए पार्वती-III पावर स्टेशन के संबंध में वार्षिक निश्चित शुल्क (एएफसी) निम्नानुसार है (अनुलग्नक-II का फॉर्म-1 देखें):

(रुपये लाख में)

एएफसी घटक	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
मूल्यहास	10964.84	2270.25	2303.53	2323.86	2329.71
ऋण पर ब्याज	2156.50	1643.53	1512.43	1247.89	2533.78
इक्विटी पर रिटर्न (आरओई)	13068.18	13278.83	13323.73	13352.53	13361.98
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	929.56	825.10	855.43	883.73	939.04
प्रचालन एवं रखरखाव पर व्यय (O&M Expenses)	12528.54	13213.64	13936.19	14698.25	15501.99
वार्षिक निश्चित शुल्क (एएफसी)	39647.61	31231.35	31931.30	32506.26	34666.51

9. मध्यस्थता / अदालती मामले :

- ए. "चमेरा जलविद्युत परियोजना, चरण-III 231 मेगावाट (3 x 77 मेगावाट), हिमाचल प्रदेश के सिविल कार्य पैकेज लॉट-1" कार्य के निष्पादन के लिए मेसर्स हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन

कंपनी लिमिटेड (ठेकेदार) और एनएचपीसी के बीच मध्यस्थता के मामले में: ठेकेदार ने कार्य के निष्पादन के दौरान निम्नलिखित मुद्दे पर विवाद किया है :

मध्यस्थ न्यायाधिकरण (एटी) जिसमें मध्यस्थ डॉ पी.सी. मारकंडा (पीठासीन मध्यस्थ), श्री के.के.मदन (मध्यस्थ), और श्री आर.जी. कुलकर्णी (मध्यस्थ) शामिल थे, द्वारा दिनांक 02.06.2014 (अनुलग्नक- ,सीपी:) का एक मध्यस्थता पुरस्कार पारित किया गया था, जिसमें रुपये 82.00 करोड़ (मूलधन) और रुपये 25.40 करोड़ (दावे के संदर्भ की तारीख से पुरस्कार की तारीख तक प्रासंगिक समय पर प्रचलित एसबीएआर पर गणना की गई ब्याज) मेसर्स हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और एनएचपीसी के बीच "चमेरा जलविद्युत परियोजना, चरण- III 231 मेगावाट (3 x 77 मेगावाट), हिमाचल प्रदेश के सिविल वर्क्स पैकेज लॉट -1" मामले में ठेकेदार के पक्ष में पारित किया गया था, एनएचपीसी ने इस पुरस्कार को दिल्ली उच्च न्यायालय में एकल न्यायाधीश पीठ (आपत्ति याचिका संख्या 102/2018) के समक्ष चुनौती दी थी। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने दिनांक 28.05.2018 के निर्णय (अनुलग्नक-VIII, CP:) के माध्यम से मध्यस्थता से प्राप्त मूल्य का 75% राशि और ब्याज जमा करने का निर्देश दिया है। तदनुसार, सक्षम प्राधिकारी ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 28.05.2018 के आदेश को स्वीकार करने की स्वीकृति दी है और 80.55 करोड़ रुपये (मूल राशि 61.50 करोड़ रुपये और 02.06.2014 तक ब्याज 19.05 करोड़ रुपये) का भुगतान जारी करने को मंजूरी दी है। तदनुसार, न्यायालय के निर्देशानुसार 26.09.2018 को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में 80.55 करोड़ रुपये की राशि जमा कर दी गई है (अनुलग्नक-VIII, CP:..... के रूप में संलग्न प्रमाण)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आगे निर्देश दिया है कि (i) मूल मध्यस्थता पुरस्कार राशि के 75% के रूप में गणना की गई रुपये 80.55 करोड़ की जमा राशि और 28.02.2017 तक के ब्याज के साथ और अदालत द्वारा मूल डिक्री की तारीख यानी 28.05.2018 तक के संशोधित आदेश दिनांक 16.05.2019 के अनुसार आदेश की तारीख से 8 सप्ताह के भीतर यानी 11.07.2019 तक के बीच अंतर के कारण उत्पन्न रुपये 43.91 करोड़ की अंतर राशि जमा की

जाए। तदनुसार, रुपये 43.91 करोड़ की आगे की मांग दिनांक 26.07.2019 को "दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल" के पास जमा कर दी गई है। इस प्रकार अदालत में जमा की गई कुल राशि रुपये 124.46 करोड़ (मूलधन रुपये 61.50 करोड़ + 02.06.2014 तक 75% ब्याज के रूप में रुपये 19.05 करोड़ और पुरस्कार के बाद ब्याज के रूप में रुपये 43.91 करोड़) है।

मौजूदा सीईआरसी विनियमन के अनुसार, सीईआरसी विनियम, 2024 के विनियमन 25(1)(a) में वित्त वर्ष 2024-25 में ऐड कैप के तहत रुपये 61.50 करोड़ की मूल राशि का दावा किया गया है (वित्त वर्ष 2024-25 के फॉर्म 9A में आइटम नंबर 3) और रुपये 62.96 करोड़ की ब्याज राशि सीईआरसी विनियम, 2024 के विनियम 91 के अनुसार प्रतिपूर्ति के माध्यम से वसूल की जानी है। माननीय आयोग से अनुरोध है कि वह मूलधन के उपरोक्त उपचार की अनुमति दें और सीईआरसी टैरिफ विनियम 2024 के विनियम 91 के अनुसार रुपये 62.96 करोड़ की ब्याज राशि की प्रतिपूर्ति की अनुमति दें।

बी. "चमेरा जलविद्युत परियोजना, चरण-III 231 मेगावाट (3 x 77 मेगावाट), हिमाचल प्रदेश के सिविल कार्य पैकेज लॉट-1" कार्य के निष्पादन के लिए मेसर्स हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (ठेकेदार) और एनएचपीसी के बीच मध्यस्थता के मामले में: ठेकेदार ने कार्य के निष्पादन के दौरान निम्नलिखित मुद्दे पर विवाद किया है:

दिनांक 03.10.2016 (अनुलग्नक-VIII, CP:) का एक मध्यस्थता पुरस्कार मध्यस्थ न्यायाधिकरण (AT) द्वारा पारित किया गया था, जिसमें मध्यस्थ न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) देविंदर गुप्ता, श्री वी.के. मल्होत्रा (सेवानिवृत्त आईएएस), और श्री एन.एन. सिंघल शामिल थे, जिसके तहत मेसर्स हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और एनएचपीसी के बीच मामले में ठेकेदार के पक्ष में रुपये 25.63 करोड़ (मूलधन) और रुपये 9.15 करोड़ (पुरस्कार की तिथि तक 18% ब्याज) का भुगतान किया गया था, जिसका कार्य "चमेरा जलविद्युत परियोजना, चरण- III 231 मेगावाट (3 x 77 मेगावाट), हिमाचल प्रदेश के सिविल कार्य पैकेज लॉट-1" का निष्पादन करना था: एनएचपीसी ने इस

पुरस्कार को दिल्ली उच्च न्यायालय में एकल न्यायाधीश पीठ (आपत्ति याचिका संख्या 84/2018) के समक्ष चुनौती दी थी। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने दिनांक 28.05.2018 के निर्णय (अनुलग्नक-VIII, CP:) के माध्यम से मध्यस्थता से प्राप्त मूल्य का 75% राशि और ब्याज जमा करने का निर्देश दिया है। तदनुसार, सक्षम प्राधिकारी ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 28.05.2018 के आदेश को स्वीकार करने को मंजूरी दे दी है और रुपये 26.09 करोड़ (मूल राशि रुपये 19.23 करोड़ और निर्णय की तिथि तक ब्याज रुपये 6.86 करोड़) का भुगतान जारी करने को मंजूरी दे दी है। तदनुसार, न्यायालय के निर्देशानुसार रुपये 26.09 करोड़ की राशि रुपये 26.09 करोड़ माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में जमा कर दी गई है (प्रमाण अनुलग्नक-VIII, CP:..... के रूप में संलग्न है)।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आगे निर्देश दिया है कि (i) मूल मध्यस्थता पुरस्कार राशि के 75% के रूप में गणना की गई रुपये 26.09 करोड़ की जमा राशि और 28.02.2017 तक के ब्याज के साथ और अदालत द्वारा मूल डिक्री की तारीख यानी 28.05.2018 तक के संशोधित आदेश दिनांक 16.05.2019 के अनुसार आदेश की तारीख से 8 सप्ताह के भीतर यानी 11.07.2019 तक के बीच अंतर के कारण उत्पन्न रुपये 13.92 करोड़ की अंतर राशि जमा की जाए। तदनुसार, रुपये 13.92 करोड़ की आगे की मांग दिनांक 26.07.2019 को "दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल" के पास जमा कर दी गई है। इस प्रकार अदालत में जमा की गई कुल राशि रुपये 40.00 करोड़ (मूलधन रुपये 19.23 करोड़ + रुपये 6.86 करोड़ पुरस्कार की तिथि तक 75% ब्याज के रूप में और रुपये 13.92 करोड़ पुरस्कार के बाद ब्याज के रूप में) है।

मौजूदा सीईआरसी विनियमन के अनुसार, सीईआरसी विनियम, 2024 के विनियमन 25(1)(a) में वित्त वर्ष 2024-25 में ऐड कैप के तहत रुपये 19.23 करोड़ की मूल राशि का दावा किया गया है (वित्त वर्ष 2024-25 के फॉर्म 9A में आइटम नंबर 4) और रुपये 20.78 करोड़ की ब्याज राशि सीईआरसी विनियम, 2024 के विनियम 91 के अनुसार प्रतिपूर्ति के माध्यम से वसूल की जानी है। माननीय आयोग से अनुरोध है कि वह मूलधन के उपरोक्त उपचार की अनुमति दें और

सीईआरसी टैरिफ विनियम 2024 के विनियम 91 के अनुसार रुपये 20.78 करोड़ की ब्याज राशि की प्रतिपूर्ति की अनुमति दें।

10. चूंकि नीति आयोग के निर्देश/न्यायालय के आदेश के अनुपालन में याचिकाकर्ता द्वारा मध्यस्थता पुरस्कार के लिए पर्याप्त राशि का भुगतान/जमा किया गया है। इससे याचिकाकर्ता के नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तदनुसार, इसे सीईआरसी टैरिफ विनियमन, 2024 के विनियमन 25(1)(a) के तहत अतिरिक्त पूंजीकरण के रूप में अनुमति दी जा सकती है। यह उल्लेख करना उचित है कि उपरोक्त मध्यस्थता पुरस्कार के खिलाफ एड कैप पर विचार करने से याचिकाकर्ता को नकदी प्रवाह की समस्या कम हो जाएगी और साथ ही लाभार्थियों को ऐसी लागत पर भविष्य में वहन लागत का भुगतान करने के अतिरिक्त बोझ से बचाया जा सकेगा। माननीय आयोग सीईआरसी टैरिफ विनियमन, 2024 के विनियमन, 102 (ढील देने की शक्ति) और विनियमन 103 (कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति) के तहत सीईआरसी विनियमन, 2024 के विनियमन 25(1)(a) और 91 के मानदंडों में छूट के लिए याचिकाकर्ता (पैरा-9) को प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है।

न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, 28.05.2018 तक के पोस्ट अवार्ड ब्याज सहित मध्यस्थता पुरस्कार राशि का 75% 26.09.2018 और 26.07.2019 को न्यायालय में जमा कर दिया गया है। हालांकि, याचिकाकर्ता पहले से खर्च की गई राशि के लिए टैरिफ में लाभ से वंचित है। अगर मामला पहले सुलझा लिया गया होता, तो याचिकाकर्ता को राशि वितरण की तारीख से टैरिफ मिल सकता था। तदनुसार, यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा खर्च की गई राशि पर मौजूदा सीईआरसी विनियमन के अनुसार राशि वितरण की तारीख से 31.03.2024 तक काल्पनिक ब्याज की अनुमति दी जाए। हमने मौजूदा सीईआरसी विनियमन, 2019 के अनुसार 1 वर्ष एसबीआई एमसीएलआर+350bp (अनुलग्नक- VIII, सीपी: . के अनुसार) पर रुपये 95.77 करोड़ की ब्याज राशि की गणना की है।

उपर्युक्त के मद्देनजर, माननीय आयोग सीईआरसी टैरिफ विनियमन, 2024 के विनियमन 102 (ढील देने की शक्ति) और विनियमन 103 (कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति) के तहत मौजूदा सीईआरसी मानदंडों में छूट देते हुए, अदालत में भुगतान/जमा की गई राशि पर काल्पनिक ब्याज की अनुमति दे सकता है।

11. वर्ष 2024-25 (टैरिफ अवधि 2024-29 का पहला वर्ष) के लिए रुपये 10,16,400/- की फाइलिंग फीस सीईआरसी (शुल्क का भुगतान) विनियम, 2012 और इसके संशोधनों के अनुसार पहले ही इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्तांतरित की जा चुकी है। सीईआरसी को पहले ही इसकी सूचना दे दी गई है। इसके अलावा, टैरिफ अवधि 2024-29 के शेष वर्षों के संबंध में फाइलिंग शुल्क याचिकाकर्ता द्वारा उपरोक्त सीईआरसी विनियम के अनुपालन में संबंधित वर्ष की 30 अप्रैल तक जमा किया जाएगा। तदनुसार, माननीय आयोग से अनुरोध है कि वह सीईआरसी टैरिफ विनियमन 2024 के विनियम 94(1) के अनुरूप लाभार्थियों से फाइलिंग शुल्क की प्रतिपूर्ति की अनुमति दे।
12. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम, 2023 के अनुपालन में, याचिकाकर्ता चमेरा-III पावर स्टेशन के संबंध में टैरिफ याचिका की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा। इसके लिए प्रकाशन का प्रमाण अलग से प्रस्तुत किया जाएगा। माननीय आयोग से अनुरोध है कि वह सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2024 के विनियम 94(1) के अनुरूप लाभार्थियों से प्रकाशन व्यय की वसूली की अनुमति प्रदान करें।
13. उपर्युक्त टैरिफ प्रस्ताव में किसी भी सरकार (केन्द्रीय/राज्य) और/या किसी अन्य स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/विनियामक प्राधिकरण द्वारा विद्युत उत्पादन सहायक उपभोग (auxiliary consumption) सहित अथवा किसी अन्य प्रकार के उपभोग जैसे कि विद्युत पारेषण, पर्यावरण संरक्षण, विद्युत/ऊर्जा की बिक्री या आपूर्ति, और/या उत्पादन स्टेशनों और/या पारेषण प्रणाली से संबंधित इसके किसी भी प्रतिष्ठान के संबंध में लगाए गए/प्रभारित किए गए किसी भी वैधानिक कर, शुल्क, उपकर या अन्य प्रकार के अधिरोपण शामिल नहीं हैं।
14. एनएचपीसी द्वारा किसी भी माह में संबंधित प्राधिकारियों को उक्त करों/शुल्कों/उपकर/लेवी आदि के रूप में देय राशि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रतिवादियों द्वारा वहन की जाएगी तथा

एनएचपीसी को अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा तथा प्रतिवादियों द्वारा उनके द्वारा देय वार्षिक क्षमता प्रभार के अनुपात में इसे देय किया जाएगा।

15. इसके अलावा, टैरिफ प्रस्ताव में सीईआरसी (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रभारों हानियों हानियों की शेयरिंग) विनियम, 2020 और इसके संशोधनों तथा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रादेशिक भार प्रेषण की फीस तथा प्रभार तथा अन्य सहबद्ध मामले) विनियम, 2024 और इसके संशोधनों के तहत PGCIL, POSOCO/ NLDC को भुगतान किए जाने वाले किसी भी ट्रांसमिशन/संचार/यूएलडीसी शुल्क को शामिल नहीं किया गया है। सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2024 के विनियम 94 के अनुसार ये शुल्क लाभार्थियों से सीधे वसूल किए जाएंगे।

भाग-सी: वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कमी (shortfall) का दावा

1. सीईआरसी टैरिफ विनियम 2024 का विनियम 65(8) उत्पादक कंपनी को टैरिफ अवधि 2019-24 के लिए shortfall का दावा करने की अनुमति देता है, जिसे इस विनियम के विनियम 65(7) के अनुसार वसूल किए जाने वाले टैरिफ अवधि के दौरान वसूल नहीं किया जा सका है। विनियमों का प्रासंगिक अंश निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“65. जल विद्युत उत्पादन स्टेशनों के लिए क्षमता प्रभार और ऊर्जा प्रभार की गणना और भुगतान:

.....

(7) यदि वर्ष के दौरान हाइड्रो उत्पादन स्टेशन की बिक्री योग्य अनुसूचित ऊर्जा (एक्स-बस) उत्पादन स्टेशन के नियंत्रण से आगे कारणों के लिए बिक्री योग्य डिजाइन ऊर्जा (एक्स-बस) से कम है, उत्पादन स्टेशन तत्काल आगामी वर्ष में डीएसएम ऊर्जा के लिए समायोजन के बाद छः बराबर ब्याजमुक्त मासिक किस्तों में ऊर्जा प्रभार में कमी की प्रत्यक्ष रूप से वसूली कर सकता है और टैरिफ अवधि के अंत तक टूटिंग अप के अधीन होगा।

परंतु यह कि

(8) टैरिफ अवधि 2019-24 के दौरान बिक्री योग्य डिजाइन ऊर्जा (एक्स-बस) से कम रही बिक्री योग्य अनुसूचित ऊर्जा (एक्स-बस) के कारण ऊर्जा प्रभारों में कोई कमी, जो उत्पादन स्टेशन के नियंत्रण से बाहर थी और जिसे उक्त टैरिफ अवधि के दौरान वसूल नहीं किया जा सका, इस विनियम के खंड (7) के अनुसार वसूल की जाएगी।

2. सीईआरसी टैरिफ विनियम 2024 की अधिसूचना तक एनएचपीसी ने सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019 के विनियम 44(7) के अनुरूप वित्त वर्ष 2019-20, वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए shortfall की याचिकाएं दायर की हैं। हालांकि, सीईआरसी टैरिफ विनियम 2024 की अधिसूचना तक वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए shortfall याचिकाएं सीईआरसी में दायर नहीं की जा सकीं क्योंकि वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अंतिम आरईए जारी नहीं किया गया था।
3. इसलिए, एनएचपीसी ने विनियम 65(8) और 65(7) के अनुरूप एनएचपीसी के कुछ पावर स्टेशनों के लिए सितंबर 2024 के महीने में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ऊर्जा शुल्क में shortfall का बिल जारी किया है। वर्तमान में, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अंतिम (final) आरईए प्राप्त न होने के कारण वित्त वर्ष 2023-24 में shortfall का बिल आज तक नहीं जारी किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अंतिम आरईए प्राप्त होने पर, एनएचपीसी संबंधित पावर स्टेशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ऊर्जा शुल्क में shortfall का बिल जारी करेगा। Final REA प्राप्त होने के बाद ऊर्जा शुल्क में shortfall को सीईआरसी टैरिफ विनियमन 2024 के विनियमन 65(8) और 65(7) के अनुसार टूड अप किया जाएगा और इस संबंध में विस्तृत प्रस्तुति (detail submission) तत्काल याचिका में अतिरिक्त जानकारी के रूप में की जाएगी।

प्रार्थना

भाग-ए: 2019-24 की अवधि के लिए टैरिफ का टूडंग अप

माननीय आयोग से अनुरोध है कि कृपया निम्न का अनुमति प्रदान करने की कृपा करें:

1. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2019 के विनियम-13 के अनुसार दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2024 की अवधि के लिए चमेरा-III पावर स्टेशन के टैरिफ में संशोधन हेतु अनुमति प्रदान करें।

2. जैसा कि ऊपर **पैरा-7 (भाग-ए)** में उल्लिखित है, ऐसे अतिरिक्त पूंजीगत व्यय की कृपया अनुमति प्रदान करें, जिन्हें सीईआरसी के दिनांक 09.06.2023 के आदेश द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन 2019-24 के दौरान साइट विशिष्ट की आवश्यकताओं के कारण खर्च किए गए थे।
3. उपरोक्त **पैरा-7 (भाग-ए)** में उल्लिखित ऐसे अतिरिक्त पूंजीगत व्यय की अनुमति प्रदान करें, जिन्हें सीईआरसी के सीईआरसी विनियम 2019 के विनियम 26 के अंतर्गत संयंत्र के सफल और कुशल संचालन के लिए आवश्यक समझा गया था।
4. उपरोक्त **पैरा-8 (भाग-ए)** में उल्लिखित टैरिफ के प्रयोजन के लिए छोटी परिसंपत्तियों, औजारों और उपकरणों, फर्नीचर, कंप्यूटर आदि की प्रकृति वाली वस्तुओं से संबंधित प्रविष्टियों के बहिष्करण (exclusion) करने की अनुमति प्रदान करें।
5. **पैरा-10 & 11(भाग-ए)** में किए गए दावा के अनुसार शुद्ध अतिरिक्त पूंजीकरण की अनुमति प्रदान करें।
6. **पैरा-12 (ए)** (भाग-ए) में उल्लिखित के अनुसार 2019-24 की अवधि के लिए 'प्रभावी कर' इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) की सकल दर के आधार पर टूइंग अप करने की अनुमति प्रदान करें।
7. **पैरा-12 (डी)** (Pard-A) में दावा किए प्रचालन एवं रखरखाव व्यय (ओ एंड एम व्यय) की अनुमति प्रदान करें।
8. चमेरा-III पावर स्टेशन के वार्षिक नियत लागत (एएफसी) की गणना और दावा क्रमशः वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए **₹ 41548.88 लाख , ₹ 41648.43 लाख , ₹ 41415.09 लाख , ₹ 42972.19 लाख** और **₹ 43032.82 लाख** रुपये किया गया है, जैसा कि ऊपर **पैरा-12 (भाग-ए)** में उल्लिखित है। माननीय आयोग कृपया उपरोक्त एएफसी की अनुमति दे। दावा किए गए एएफसी और याचिका 642/जीटी/2020 में सीईआरसी के आदेश दिनांक 09.06.2023 द्वारा अनुमत एएफसी के बीच के अंतर को सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन और शर्तें)

विनियम, 2019 के विनियम 13(4) और इसके बाद के संशोधनों में निर्दिष्ट तरीके से प्रतिवादियों से वसूल / वापस करने की अनुमति प्रदान करें।

9. सीईआरसी विनियम, 2019 के विनियम 76 (शिथिल करने की शक्ति) और विनियम 77 (कठिनाई को दूर करने की शक्ति) के तहत सीईआरसी के मानदंडों की सीमा में छूट के तहत **पैरा-9 (भाग-ए)** में उल्लिखित गैर पूंजीकरण की अनुमति प्रदान करें।
10. जैसा कि ऊपर **पैरा-15 से 17 (भाग-ए)** में उल्लेख किया गया है कि एनएचपीसी को प्रतिवादियों को लेवी, कर, शुल्क, उपकर, प्रभार, फीस आदि, यदि कोई है के लिए बिल करने की अनुमति प्रदान करें।
11. इस प्रकार के अन्य तथा अग्रिम आदेश पारित करने का अनुरोध किया जाता है जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार उचित समझे जाएं।

भाग-बी: 2024-29 की अवधि के लिए टैरिफ याचिका

माननीय आयोग से अनुरोध है कि कृपया निम्न का अनुमति प्रदान करने की कृपा करें:

1. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2024 के विनियम-10 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1)(ए) के अंतर्गत 01.04.2024 से 31.03.2029 की अवधि के लिए पार्वती-III पावर स्टेशन के टैरिफ की अनुमति प्रदान करें।
2. **पैरा-5&6 (भाग-बी)** में दावा के अनुसार 2024-29 की अवधि के लिए शुद्ध अतिरिक्त पूंजीकरण की अनुमति प्रदान करें।
3. **पैरा-7(डी) (भाग-बी)** में दावा के अनुसार प्रचालन एवं रखरखाव व्यय (ओ एंड एम व्यय) की अनुमति प्रदान करें।
4. जैसा कि ऊपर **पैरा-8 (भाग-बी)** में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2024-25, 2025-26, 2026-27, 2027-28 और 2028-29 के लिए नियत वार्षिक लागत की क्रमशः **₹ 39647.61 लाख , ₹**

31231.35 लाख, 31931.30 लाख , ₹ 32506.26 लाख और ₹ 34666.51 लाख के रूप में गणना की गई है। माननीय आयोग कृपया इन नियत वार्षिक लागत (एएफसी) की अनुमति दें। दावा किए गए एएफसी और सीईआरसी द्वारा 31.03.2024 के आदेश (2023-24 की अवधि के लिए) के तहत अनुमत एएफसी के बीच के अंतर को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबन्धन एवं शर्तों) विनियम, 2024 के विनियम 10(6) और उसके बाद के संशोधनों में निर्दिष्ट तरीके से प्रतिवादियों से वसूलने/वापस करने की अनुमति प्रदान करें।

5. **पैरा-9 और पैरा-10 [भाग-बी]** में उल्लिखित मध्यस्थता मामले के दावों की अनुमति दें, माननीय आयोग कृपया सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2024 के विनियम, 102 (शिथिल करने की शक्ति) और विनियम, 103 (कठिनाई दूर करने की शक्ति) के तहत हमारे दावे की अनुमति प्रदान करें।
6. **पैरा-11 [भाग-बी]** में उल्लिखित के अनुसार इस याचिका के दाखिल करने के शुल्क की प्रतिपूर्ति की अनुमति प्रदान करें।
7. **पैरा-12 [भाग-बी]** में उल्लिखित अनुसार टैरिफ याचिका में नोटिस के प्रकाशन पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की अनुमति प्रदान करें।
8. जैसा कि ऊपर **पैरा-13 से 15 (भाग-बी)** में उल्लिखित है कि एनएचपीसी को प्रतिवादियों को उपकर, कर, शुल्क, उपकर, ट्रांसमिशन प्रभार, फीस आदि, यदि कोई हो, के लिए बिल जारी करने की अनुमति प्रदान करें।
9. इस प्रकार के अन्य तथा अग्रिम आदेश पारित करने का अनुरोध किया जाता है जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार उचित समझे जाएं।

एनएचपीसी लिमिटेड
के माध्यम से

(अजय श्रीवास)
महाप्रबंधक (वाणिज्य)

स्थान : फरीदाबाद
तारीख : .11.2024

घोषणा

उपर्युक्त याचिकाकर्ता सत्यनिष्ठा से घोषणा करते हैं कि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई या दबाई नहीं गई है तथा आगे यह भी घोषणा करते हैं कि संलग्नक तथा सामग्री कागजातों का टाइप किया हुआ सेट, जिस पर भरोसा किया गया है तथा जिसे याचिका के साथ दाखिल किया गया है, मूल प्रतियों की सही प्रतियां हैं/मूल प्रतियों का उचित प्रतिनिधित्व हैं/उनका सही अनुवाद है।

..... नवम्बर 2024 को फ़रीदाबाद में सत्यापित किया गया।

एनएचपीसी लिमिटेड
के माध्यम से

(अजय श्रीवास)

महाप्रबंधक (वाणिज्यिक)